भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 105

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

पुराने 2000 रुपये के नोट जमा करना

105 श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सभी शाखाएं अभी भी 2000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करना स्वीकार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 19 मई, 2023 को विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद और 30 सितंबर या 1 अक्तूबर, 2023 की अंतिम समय-सीमा के बाद आरबीआई में जमा किए गए 2000 रुपए के विमुद्रीकृत नोटों की कुल संख्या कितनी रही;

(ग) क्या लोग 1 अक्तूबर, 2023 के बाद जमा किए गए 2000 रुपये के विमुद्रीकृत नोटों के बदले में धनराशि प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, ₹2000 के बैंक नोटों को बदलने और जमा करने की सुविधा देश की सभी बैंक शाखाओं में दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 तक उपलब्ध थी। दिनांक 19 मई, 2023 से, ₹2000 के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 से, आरबीआई के निर्गम कार्यालय भी व्यक्तियों/संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए ₹2000 के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ₹2000 के बैंक नोटों को भारत में बैंक खातों में जमा करने के लिए देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक द्वारा आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय को भेजा जा सकता है। ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। सभी स्रोतों (निर्गम कार्यालय, भारत में बैंक शाखाएं, डाकघर) से आरबीआई को वापस प्राप्त हुए ₹2000 के बैंक नोटों से संबंधित विवरण नीचे तालिकाबद्ध है:

दिनांक तक की स्थिति के अनुसार	**प्रचलन में ₹2000 के बैंक नोट (₹करोड़)**	**प्रचलन से वापस प्राप्त हुए ₹2000 के बैंक नोट (₹ करोड़)**
19 मई, 2023	3,55,858	-
30 सितम्बर, 2023	13,018	3,42,840
01 नवंबर, 2024	6,967	3,48,891

***